

४ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

गुरुवार, ०१ नवम्बर, १९९६ / कार्तिक १०, १९१८ शक्

संख्या : २५

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उत्तरो जिला, दिल्ली का दिनांक १८. १०. ९६ को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे सतम्मान आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, १९७८ को धारा ६५ के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह अपना कर्तव्य समझा है कि दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन्स, दिल्ली के उचित निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण गाँधी जो को मूर्ति के सामने धरना देकर बैठे रहने पर दिल्ली विधान सभा के प्रांगण से उन्हें बलपूर्वक हटाने का निर्देश द्वैः

१. श्री दीप चन्द बन्धु, विधायक
२. श्री जा प्रवेश चन्द्र, विधायक
३. श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी, विधायक
४. श्री टेक चन्द, विधायक
५. श्रीमती ताजदार बाबर, विधायक
६. श्रीमती कृष्णा तोरथ, विधायक
७. श्री जय किशन, विधायक
८. श्री अजय माकन, विधायक
९. डॉ ए. के. वालिया, विधायक
१०. श्री ब्रह्म पाल, विधायक
११. श्री मतोन अहमद, विधायक
१२. ८ श्री परवेज़ हाशमी, विधायक
१३. श्री शोशा पाल, विधायक
१४. श्री एम. एस. साथी, विधायक

उपर्युक्त दिल्ली विधान सभा के सदस्यों को तदनुसार आज प्रातः ११.५८ बजे उस स्थान से हटा दिया गया और उनके द्वारा दोबारा धरना न करने और शान्तिपूर्वक हट जाने पर सहमत होने के पश्चात् १२.३० बजे अपराह्न उन्होंने रिहा कर दिया गया।"

प्रौ. सन. गुप्ता
सचिव

DEHLI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, November 01 1996 / Kartika 10, 1918 (Saka)

No. 295

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

80

The following message dated 18.10.96 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Dy. Commissioner of Police, North Distt., Delhi :-

"I have the to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct the following members of Delhi Vidhan Sabha be removed from the Gandhi Statue compound of Delhi Vidhan Sabha where they were sitting on Dharna near Gandhi Statue for not obeying the reasonable directions of Asstt. Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi to desist from forcefull Dharna :

1. Sh. Deep Chand Bandhu, M.L.A.
2. Sh. Jag Parvash Chandra, M.L.A.
3. Sh. Ramvir Singh Bidhuri, M.L.A.
4. Sh. Tek Chand, M.L.A.
5. Smt. Tajdar Babar, M.L.A.
6. Smt. Krishna Tirath, M.L.A.
7. Sh. Jai Kishan, M.L.A.
8. Sh. Ajay Maken, M.L.A.
9. Dr. A.K. Walia, M.L.A.
10. Sh. Brahm Pal, M.L.A.
11. Sh. Matin Ahmed, M.L.A.
12. Sh. Parvez Hashmi, M.L.A.
13. Sh. Shish Pal, M.L.A.
14. Sh. M.S. Saathi, M.L.A.

The above Members of Delhi Vidhan Sabha were accordingly removed from the venue at 11.58 A.M. today and released at 12.30 P.M. after they agreed not to cause Dharna and disperse peacefully."

P.N. GUPTA
SECRETARY